



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 508 राँची, शुक्रवार, 3 भाद्र, 1945 (श०)
25 अगस्त, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

28 जून, 2023

संख्या-4/ स्था०पद०-02-13/2014 का. 3715--श्री धीरेन्द्र कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-- 245 /20, गृह जिला रामगढ़) कार्यपालक दण्डाधिकारी, गिरिडीह को विभागीय अधिसूचना सं०- 3650 दिनांक 26.06.2023 द्वारा बासुकीनाथ श्रावणी मेला, 2023 में की गई प्रतिनियुक्ति से विमुक्त करते हुए इनके स्थान पर **श्री दीपक प्रसाद, झा०प्र०से०** (षष्ठम बैच, गृह जिला हजारीबाग), कार्यपालक दण्डाधिकारी, खूरी-महुआ (गिरिडीह) को दिनांक 04.07.2023 से 31.08.2023 तक के लिए दुमका जिला में कार्यपालक दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है ।

संख्या-4/स्थापद-02-13/2014 का. 3716--श्री आशुतोष कुमार ओझा, झांप्रंसें
(कोटि क्रमांक-579/20, गृह जिला राँची), सहायक निदेशक, सूडा, राँची को बासुकीनाथ श्रवणी मेला, 2023 के दौरान विधि व्यवस्था संधारण हेतु दिनांक 04.07.2023 से 31.08.2023 तक के लिए दुमका जिला में कार्यपालक दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

II. उपर्युक्त प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 (एक्ट 2,1974) की धारा-20 के तहत दुमका जिला के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

III. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी उपायुक्त, दुमका के कार्यालय में निर्धारित तिथि को योगदान सुनिश्चित करेंगे तथा श्रावणी मेला बासुकीनाथ की समाप्ति के उपरांत उपायुक्त दुमका द्वारा विरमित किये जाने के फलस्वरूप अपने पदस्थापन के पद पर योगदान करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(ओम प्रकाश साह),

सरकार के संयुक्त सचिव।
